गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद

प्रवेश नियमावली

शैक्षणिक सत्र 2025–26

खण्ड–'क' सामान्य नियम

1. (क) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में सत्र 2025–26 में सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश राज्य स्तरीय/वि.वि. स्तरीय प्रवेश परीक्षा अथवा महाविद्यालय स्तरीय वरीयता सूची के आधार पर किये जायेंगे।

   (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा निर्गत विभिन्न शासनादेशों के अनुरूप ही पाठ्यक्रमों में सत्र 2025–26 में प्रवेश सुनिश्चित करने होंगे।

2. पाठ्यक्रम की शैक्षिक योग्यता उनकों संचालित करने वाली संस्थाओं (Regulatory Body) जैसे बी.सी.आई., ए.आई.सी.टी.ई., एन.सी.टी.ई., पी.सी.आई., एम.सी.आई. आदि द्वारा प्रदत्त नियमों के अनुसार मान्य होंगे।

3. (क) विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रवेश की अनुमति तभी दी जायेगी जब वह पूर्व कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण हो। जिन पाठ्यक्रमों में परीक्षा सुधार/बैक पेपर परीक्षा/पूरक परीक्षा अगली परीक्षा के साथ होती है उनमें अगली कक्षा/सेमेस्टर में प्रवेश सम्बन्धित अध्यादेश के अनुसार होगा।

   (ख) किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्र को परीक्षा सुधार परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण होने की प्रत्याशा में अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा अर्थात पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय छात्र अर्ह होना चाहिए।

   स्पष्टीकरण :

   विद्यार्थी की पूर्व सेमेस्टर को मिलाकर अधिकतम पाँच विषयों (अर्थात 5 विभिन्न पेपर कोड, Co-curricular एवम् Vocationl विषय को छोड़कर) में बैक अनुमन्य है। इससे अधिक विषयों में बैक की अवस्था में विद्यार्थी को विषम समेस्टर अर्थात तृतीय सेमेस्टर एवम् पंचम सेमेस्टर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

4. यू.एफ.एम. के छात्रों को उतने वर्ष अधिक मिलेंगे जितने वर्ष तक वे परीक्षा से वंचित होते हैं। निरस्त की गयी परीक्षा की गणना वंचित में नहीं होगी।

5. जो विद्यार्थी प्रयोगात्मक परीक्षा के कारण अनुत्तीर्ण हो जाते हैं उन्हें प्रयोगों को पूर्ण करने के लिए भूतपूर्व छात्र के रूप में प्रवेश की अनुमति होगी। भूतपूर्व विद्यार्थी वहीं होंगे जो संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में अनुत्तीर्ण हुए हैं।

6. विद्यार्थी को किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक कि वह उस पाठ्यक्रम को पूर्ण नहीं कर लेता है जिसमें वह पहले से प्रवेश ले चुका है अर्थात् दो पाठ्यक्रम एक साथ करने की अनुमति नहीं होगी अर्थात् दोनों पाठ्यक्रमों में से किसी एक का चयन करने का विकल्प परीक्षार्थी को होगा। दो पाठ्यक्रमों को एक साथ अध्ययन के लिए यू.जी.सी. के परिनियम एवं अधिनियम मान्य होंगे।

7. जो विद्यार्थी किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम की परीक्षा के पार्ट (भाग एक, दो अथवा तीन) की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये हैं उन्हें इस विश्वविद्यालय में प्रवेश अनुमत नहीं होगा,

किन्तु विश्वविद्यालय उन विद्यार्थियों को स्नातक की अगली उच्च कक्षा में प्रवेश के लिए अनुमत कर सकता है जिन्होंने पूर्व कक्षा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो परन्तु यह प्रवेश निम्न के अधीन होगा–

(क) सम्बन्धित विषय की पाठ्यक्रम समिति (बोर्ड ऑफ स्टडीज) के संयोजक एवं सम्बन्धित संकाय के अधिष्ठाता की निर्धारित नियमों के अवलोकन में संस्तुति और प्रवेश समिति के अनुमोदन के पश्चात छात्र को प्रवेश दिया जायेगा और प्रवेश के समय उल्लिखित शर्तों को पूरा करना होगा।

(ख) ऐसे विद्यार्थी विश्वविद्यालय के निर्धारित स्नातक पाठ्यक्रमों में ही अध्ययन कर सकेंगे।

(ग) यह नियम स्नातकोत्तर, प्रबन्धन, विधि एवं अभियान्त्रिकी कक्षाओं पर लागू नहीं होगा।

(घ) किसी अन्य विश्वविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग (नकल) में दण्डित छात्र का प्रवेश किसी भी पाठ्यक्रम में नहीं होगा।

8. जिन विद्यार्थियों ने अदीब/अदीब–ए–माहिर/अदीब–ए–कामिल/फाजिल उत्तीर्ण किया है वे (10+2) होने पर स्नातक एवं (10+2+3) होने पर ही परास्नातक में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

9. (क) एकल विषय से स्नातक करने वाले विद्यार्थियों को उस विषय से सम्बन्धित आवश्यक क्रेडिट पूर्ण करने होंगे। क्रेडिट पूर्ण होने पर ही विद्यार्थी को डिग्री प्रदान की जायेगी।

(ख) एक विषय से स्नातक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों को संस्थागत रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। किन्तु प्रयोगात्मक विषय वाले छात्र को प्राचार्य की अनुमति से कक्षा में पढ़ने की अनुमति होगी किन्तु वह संस्थागत छात्र नहीं माना जाएगा और ऐसे छात्रों की संख्या स्वीकृत कुल सीटों की संख्या के अतिरिक्त मानी जायेगी अर्थात ये स्थान अधिसंख्य होंगे, ऐसे छात्र संस्थागत परीक्षा फार्म भरेंगे। एक विषय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी अपने पूर्व के स्ट्रीम में ही प्रवेश/परीक्षा दे सकेंगे।

10. विश्वविद्यालय परिसर और इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के किसी पाठ्यक्रम में दूसरे विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक वह पाठयक्रम समतुल्य समिति/संकायाध्यक्ष से अनुमोदित नहीं हो। ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश जिसका अनुमोदन समतुल्य समिति/संकायाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, में प्रवेश देने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति उसके सुनिश्चित परिणामों (आर्थिक, छात्रों का अहित आदि) के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

11. विदेशी अभ्यर्थी किसी भी पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिए तभी पात्र होगा जब वह भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृती एवं जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा।

12. (क) विश्वविद्यालय परीक्षा में अभद्र व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों की शिकायत प्राप्त होने पर उन्हें किसी भी महाविद्यालय अथवा परिसर के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ख) वह विद्यार्थी जो पुलिस अभिलेखों के अनुसार हिस्ट्रीशीटर है अथवा अपराध में दोषी सिद्ध पाया गया है अथवा किसी अपराधिक मुकदमें में शामिल है, को किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि पहले से प्रवेश पा चुका है तो उसका प्रवेश किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त हो जायेगा।

(ग) महाविद्यालयों के प्राचार्य और विश्वविद्यालय के कुलपति महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने की दृष्टि से किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश अथवा पुनः प्रवेश को बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकते हैं, मना कर सकते हैं भले ही मामला जैसा भी हो।

(घ) किसी भी महाविद्यालय में नियमों के विरूद्ध विद्यार्थियों के किए गये प्रवेश मान्य नहीं होंगे। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश हेतु स्वीकृत छात्र संख्या से अधिक प्रवेश को कुलपति द्वारा निरस्त करने का अधिकार होगा।

(ङ) जो विद्यार्थी प्राचार्य/प्राक्टोरियल स्टाफ सहित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी एवं सहपाठियों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा, गुण्डागर्दी, रैगिंग अथवा विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के अधिकारी वर्ग के प्रति निन्दनीय वातावरण का सृजन करेगा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा भविष्य में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

13. बाहर के विश्वविद्यालय के एक उपवेशन (सिटिंग) में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए पात्र नहीं होंगे।

14. बाह्य विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण छात्र का नाम स्नातक में अतिरिक्त एकल विषय के लिए नामांकन विचारणीय नहीं होगा। इस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र अपनी ही स्ट्रीम में एकल विषय की परीक्षा दे सकते हैं।

15. जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश, परीक्षा के माध्यम से होगा उन पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश की अनुमति नहीं होगी अर्थात जो अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ है, वह किसी भी दशा में प्रवेश का पात्र नहीं होगा। छात्र हित में यदि आवश्यक हो तो प्रवेश समिति प्रक्रिया में यथानुसार उचित परिवर्तन कर सकती है।

16. जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश किये जाते हैं उनकी योग्यता सूची, मात्र प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैयार की जायेगी।

17. छात्र जिस श्रेणी (अर्थात सामान्य शुल्क, भुगतान शुल्क, अप्रवासी भारतीय ;छत्प्द्ध शुल्क एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम वाली सीटों) में प्रवेश लेता है तो वह उसी श्रेणी में पूरे पाठ्यक्रम में अध् ययन करेगा। यह श्रेणी अपरिवर्तनीय होगी। सामान्यतः किसी भी श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रवेश स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

18. जिन पाठ्यक्रमों में किसी सक्षम संविधिक निकाय, समिति/अधिकारी से अनुमोदन आवश्यक है उसे प्राप्त करने के बाद ही प्रवेश दिये जायें।

19. स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के छात्रों का स्थानान्तरण राजकीय महाविद्यालय एवं सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालय में नहीं हो सकता है किन्तु राजकीय महाविद्यालय एवं सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालयों के छात्रों का स्थानान्तरण स्ववित्तपोषित महाविद्यालय में हो सकता है। स्थानान्तरण के लिए छात्र कारणों का उल्लेख करते हुए दोनों महाविद्यालयों के प्राचार्यों की अनापत्ति के साथ विश्वविद्यालय में आवेदन करेगा। विश्वविद्यालय के अनुमोदन के पश्चात् ही स्थानान्तरण अनुमन्य होंगे अन्यथा की स्थिति में गलत प्रवेश देने के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य स्वयं जिम्मेदार होंगे और विश्वविद्यालय ऐसे स्थानान्तरित छात्र की परीक्षा सम्पन्न नहीं कराएगा। सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्य स्थानान्तरण हेतु अनापत्ति विश्वविद्यालय को तभी प्रेषित करेंगे जब प्रवेश नियमावली के बिन्दु संख्या–3 की शर्तें पूरी हो रही हों।

स्पष्टीकरण– यदि कोई स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम राजकीय या सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालय में चल रहा है तो स्ववित्तपोषित महाविद्यालय के छात्र का स्थानान्तरण उपरोक्त महाविद्यालय में हो सकेगा। बिन्दु संख्या 03 की शर्तें उक्त स्थानान्तरण पर भी लागू होगी।

20. डिप्लोमा एवं पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु क्रमशः इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को नियमानुसार 5 प्रतिशत अंकों की छूट होगी।

21. महाविद्यालयों में चल रहे विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में न्यूनतम प्रवेश संख्या 10 होगी। न्यूनतम प्रवेश संख्या पूर्ण न होने की स्थिति में पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय से विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी।

22. जो भी छात्र संस्थागत रूप में प्रवेश लेता है और वह कहीं पर सरकारी या गैर सरकारी नौकरी कर रहा है तो वह अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा और साथ ही साथ पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान छुट्टी लेगा अन्यथा की स्थिति में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। यदि यह तथ्य छुपाता है और अध्ययन के दौरान विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के संज्ञान में बात आती है तो उसे परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

23. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), नई दिल्ली, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय (यू.पी.आर.टी.ओ.यू.), प्रयागराज एवं अन्य प्रदेशों की राज्य सरकारों द्वारा अपने प्रदेश में स्थापित मुक्त विश्वविद्यालय जो ए.आई.यू./यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की सूची में उल्लिखित हैं, से उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतू विश्वविद्यालय में आवेदन कर सकते हैं तथा इनका प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित प्रवेश समिति के अधीन होगा।

24. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक–एफ. 5–1/2008 (सीपीपी–11) मई, 2009 के द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी–NIT) को भारत सरकार के अधिनियम एन.आई.टी. एक्ट 2007 के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया गया है। तद्नुसार उन्हें उपाधि देने हेतु अधिकृत किया गया है। इनसे प्राप्त उपाधि धारक विद्यार्थी प्रवेश हेतू विश्वविद्यालय में आवेदन कर सकते हैं तथा इनका प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित प्रवेश समिति के अधीन होगा।

25. प्रवेश नियमावली में जहाँ–जहाँ न्यूनतम अंकों को योग्यता के लिए निर्धारित किया गया है उनमें कोई शिथिलता प्रदान नहीं की जाएगी अर्थात यदि प्रवेश हेतु 45 प्रतिशत अंक मान्य हैं तो 44.9 प्रतिशत अंक मान्य नहीं होगा।

26. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं ए.आई.यू. से मान्यता प्राप्त दूरस्थ शिक्षा प्राप्त कराने के उद्देश्य से स्थापित समस्त मुक्त विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रवेश हेतु अर्ह माना जायें।

27. योग्यता क्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा –
    यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों ने योग्यता सूचकांक में समान अंक/रैंक प्राप्त किया है, तो प्रवेश के लिए योग्यता निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी –
    (क) इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष परीक्षा में उच्च प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।
    (ख) यदि कक्षा (10+2) या समकक्ष परीक्षा या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में प्राप्त अंक समान हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रथम वरीयता हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा में उच्च प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को दी जायेगी।

(ग) यदि हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंक भी समान हैं तो उस स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।

26. ओपन मैरिट में अभ्यर्थी द्वारा पंजीकरण के समय चयनित पाठ्यक्रम में ही प्रवेश हेतु नियमानुसार अवसर प्रदान किया जायेगा। इसके उपरान्त सीटें रिक्त रहने की स्थिति में पंजीकरण फार्म में प्रदर्शित चयनित पाठ्यक्रम की शर्त को भी शिथिल किया जा सकता है। विषय चयन हेतु अर्हता शर्तों का पालन करना अनिवार्य है।

27. आरक्षित श्रेणी की अन्तिम सूची के उपरान्त पंजीकृत अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण स्थान रिक्त रह जाने पर ओपन वरीयता सूची में अनारक्षित श्रेणी/सामान्य श्रेणी के अर्ह अभ्यर्थियों से (पंजीकृत समस्त अप्रवेशित अर्ह अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है) भरे जा सकते है।

28. यदि प्रमाण–पत्र उचित अधिकारी द्वारा जारी नहीं किये गये हैं तो उस छात्र का अभ्यर्थन सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की भांति माना जायेगा। पंजीकरण के समय उचित आरक्षण का दावा न करने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश के समय या प्रवेश के पश्चात वांछित किसी प्रकार का आरक्षण प्रदान नहीं किया जायेगा।

विशेष निर्देश :–

1. धर्म, जाति और लिंग के भेदभाव बिना प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर श्रेष्ठता सूची से प्रवेश लिये जायेंगे (महिला महाविद्यालयों को छोड़कर)।
2. पाठ्यक्रमों में आरक्षण राज्य सरकार/विश्वविद्यालय नियमानुसार ही अनुमन्य होगा।
3. उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, लखनऊ के शासनादेश संख्या 1191/सत्तर–2–2010–3(58)/79 दिनांक–11.06.2010 के अनुसार निजी संस्थाओं को छोड़कर सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों/ संस्थाओं एवं राजकीय महाविद्यालयों/संस्थाओं में संचालित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में लम्बवत् आरक्षण एवं क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार लागू होगा–

(i) लम्बवत् आरक्षण :

पिछड़ा वर्ग	:	समस्त सीटों का 27 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	:	समस्त सीटों का 21 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	:	समस्त सीटों का 2 प्रतिशत

(ii) क्षैतिज आरक्षण :

क.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 2 प्रतिशत
ख.	उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा युद्ध में मारे गये रक्षा कर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र/पुत्रियों को	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकत 5 प्रतिशत
ग.	शारीरिक रूप से निःशक्तजनों के लिए	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 3 प्रतिशत
घ.	महिलाओं के लिए	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 20 प्रतिशत

(iii) आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी के पास उत्तर प्रदेश सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत

आरक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिये। अन्य पिछड़ा वर्ग (Non Creamy Layer) के अभ्यर्थियों के पास उक्त प्रमाण पत्र तीन वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिये।

(iv) शासनादेश संख्या–192 / सत्तर–7–2019–बी.एड.(09) / 2014 टी.सी. दिनांक 29.05.2019 एवं शासनादेश संख्या–1 / 2019 / 4 / 1 / 2002 / का–2 / 19 टी.सी.–II दिनांक 18.02.2019 के अनुरूप उत्तर प्रदेश के निवासी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों को कुल सीटों की 10 प्रतिशत पर प्रवेश दिया जा सकेगा। उक्त सीटें कुल स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त होंगी एवं 'EWS' श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में उक्त सीटें रिक्त रखी जायेंगी एवं उन अतिरिक्त सीटों पर अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को 'EWS' श्रेणी का लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत 'EWS' श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(v) शासनादेश संख्या–4004 / 15–11–88–31581 / 79 दिनांक 29 जून, 1988 के अनुरूप उत्तर प्रदेश से बाहर के प्रान्तों के अधिकतम 05 प्रतिशत छात्रों को मेरिट सूची के आधार पर अर्ह होने की दशा में प्रवेश दिया जा सकता है।

4. पंजीकरण के समय उचित आरक्षण का दावा ना करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय या प्रवेश के पश्चात् किसी प्रकार का आरक्षण प्रदान नहीं किया जायेगा।

5. शासकीय सेवारत कर्मचारियों के पुत्र / पुत्रियों को उनके पिता के स्थानान्तरण, छात्रा के विवाह, माता–पिता के स्वर्गवास की स्थिति में अन्तिम निवास में रहने हेतु अथवा अन्य कोई समुचित कारण जिससे कुलपति संतुष्ट हों, के आधार पर अन्य विश्वविद्यालय के छात्र / छात्राओं एवं संबद्ध महाविद्यालयों के छात्र / छात्राओं का प्रवेश स्थानान्तरण के आधार पर अनुमन्य होगा।

6. प्रवेश के लिए ज्येष्ठता सूची तैयार करते समय प्रतिवर्ष के अन्तराल के 02 प्रतिशत अंक घटाकर प्रवेश योग्यता सूची (मैरिट) तैयार की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में कुलपति महोदय की आज्ञा से शिथिलता प्रदान की जा सकती है।

7. ऐसा कोई छात्र स्नातक पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा जिसने '10+2' परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की हो। स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु '10+2+3' परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

8. मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय की सूची संलग्न है। सामान्यतः महाविद्यालय के विषयों की कक्षा में प्रति सेक्शन विषय की सम्बद्धता के पत्र में अंकित संख्या तक ही प्रवेश दिये जा सकते हैं। शासन एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना किसी भी महाविद्यालय द्वारा कोई प्रवेश नहीं किया जायेगा।

9. प्रवेश हेतु तैयार की गई मेरिट सूची में निम्न विशिष्ट योग्यताओं के अतिरिक्त भारांक प्रदान किये जायेंगे–

(अ)	(i)	राष्ट्रीय अथवा अन्तर विश्वविद्यालय, खेल–कूद प्रतियोगिता में भागीदारी और खेल–कूद में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए भारांक	10 भारांक
	(ii)	विश्वविद्यालय टीम में प्रतिनिधित्व	05 भारांक
(ब)		विश्वविद्यालय / सम्बद्ध महाविद्यालय के (सेवारत, सेवानिवृत्त) कर्मचारियों के पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी	10 भारांक
(स)	(i)	एन.सी.सी. के "सी" प्रमाण–पत्र अथवा "जी.1 " प्रमाण–पत्र	10 भारांक
	(ii)	"बी" और "जी.1" प्रमाण–पत्र के लिए	05 भारांक
(द)	(i)	एन.एस.एस. के दो शिविर पूर्ण करने तथा 240 घंटे की सेवायें	10 भारांक
	(ii)	एन.एस.एस. का एक शिविर तथा 240 घंटे की सेवायें	10 भारांक

(iii) केवल 240 घंटे की सेवायें — 05 भारांक

(य) (i) 12वीं कक्षा स्तर तक स्काउट/गाईड तृतीय सोपान परीक्षा उत्तीर्ण करने पर — 05 भारांक

(ii) प्रदेश के राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत — 10 भारांक

(iii) भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत — 10 भारांक

(iv) रोवर्स/रेंजर्स निपुण परीक्षा उत्तीर्ण — 05 भारांक

नोटः किसी भी स्थिति में किसी भी छात्र को 10 भारांक से अधिक भारांक नहीं दिये जायेंगे। शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्रदत्त श्रेणी की मान्यता यथावत रहेगी–अर्थात् भारांक के आधार पर प्रभावित नहीं होगी। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश हेतु मात्र स्नातक स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता के सापेक्ष भारांक ही अनुमन्य होंगे।

खण्ड–'ख' स्नातक पाठ्यक्रम सम्बन्धी नियम

1. परीक्षार्थियों को बी.ए. / बी.एस–सी. / बी.कॉम. सेमेस्टर सिस्टम की परीक्षा अधिकतम 6 वर्ष की अवधि में पूर्ण करनी होगी।
2. परीक्षार्थी को अनुमन्य समय सीमा के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण / पूर्ण न करने पर पुनः उसी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
3. विद्यार्थी एक बार स्नातक उपाधि प्राप्त करने के उपरान्त इसी विश्वविद्यालय से पुनः किसी अन्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक उपाधि प्राप्त करने हेतु अर्ह नहीं होगा।
4. यदि कोई विद्यार्थी जिसने किसी भी स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश ले लिया है और तदन्तर वह प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम को पूर्ण किये बिना उसे अधूरा छोड़कर किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है तो विद्यार्थी के द्वारा पूर्व में लिये गये स्नातक पाठ्यक्रम का प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा एवं प्रवेश शुल्क वापस नहीं होगा।
5. बी.काम. प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वही नियम लागू होंगे जोकि सामान्य बी.काम. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये निर्धारित हैं।
6. बी.कॉम. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी विषय से इण्टरमीडिएट (कृषि को छोड़कर) उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी अनुमन्य होंगे।

स्नातक पाठ्यक्रम

S. No.	Programme	Duration	Eligibility Criteria	Admission Criteria	Course Maximum Duration
1.	B.A.	6 Semester (3 Years)	Senior Secondary School	Merit List by the College (As per University Rule)	6 Years
2.	B.Sc. (Biology Group)	6 Semester (3 Years)	Senior Secondary School with Physics, Chemistry and Biology	Merit List by the College (As per University Rule)	6 Years
3.	B.Sc. (Maths Group)	6 Semester (3 Years)	Senior Secondary School with Physics, Chemistry and Mathematics	Merit List by the College (As per University Rule)	6 Years
4.	B.Com./ B.Com. (H)/ B.Com. (Professional)	6 Semester (3 Years)	Senior Secondary School in Any discipline except Agriculture	Merit List by the College (As per University Rule)	6 Years
5.	B.Sc. (Hons.) Agriculture	8 Semester (4 Years)	Senior Secondary School with Science/Agriculture	Merit List by the College (As per University Rule)	8 Years

खण्ड–'ग' स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सम्बन्धी नियम

1. परीक्षार्थियों को एम.ए. / एम.एस–सी. / एम.कॉम. सेमेस्टर सिस्टम की परीक्षा अधिकतम 4 वर्ष की अवधि में पूर्ण करनी होगी।
2. परीक्षार्थी को अनुमन्य समय सीमा के अन्तर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण / पूर्ण न करने पर पुनः उसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
3. यदि कोई विद्यार्थी जिसने किसी भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश ले लिया है और तदन्तर वह प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम को पूर्ण किये बिना उसे अधूरा छोड़कर किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है तो विद्यार्थी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा एवं प्रवेश शुल्क वापस नहीं होगा।
4. जिस छात्र ने स्नातकोत्तर उपाधि पहले से ही संस्थागत या व्यक्तिगत रूप से अर्जित कर ली हो, उक्त छात्र को नियमित अर्थात संस्थागत छात्र के रूप में अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में, यदि इच्छुक हो, तो प्रवेश लेने की अनुमति होगी।
5. एम.एस–सी. (सभी विषय) एवं एम.ए. (गणित, भूगोल, मनोविज्ञान, संगीत, चित्रकला, गृह विज्ञान) में प्रवेश के लिये निम्न अतिरिक्त नियम निहित होगा–
   (क) निर्धारित संख्या (स्वीकृत सीटों) से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा अन्यथा महाविद्यालय तथा उसके प्राचार्य के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
   (ख) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता शर्त उपयुक्त नियमों के अनुसार त्रिवर्षीय बी.एस–सी. और बी.ए. परीक्षा में द्वितीय श्रेणी के अंक (45 प्रतिशत से किसी भी दशा में कम न हो), अनुसूचित जाति / जनजाति के अभ्यर्थियों (जिनका सक्षम अधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न होगा) को नियमानुसार 5 प्रतिशत प्राप्तांकों की छूट होगी अर्थात उनके लिए न्यूनतम पात्रता प्राप्तांक 40 प्रतिशत होगा।
   (ग) छात्र एम.एस–सी. / एम.ए. में प्रवेश के लिए उन्हीं विषयों में आवेदन कर सकता है जिन विषयों में उसने स्नातक अन्तिम स्तर पर एक प्रमुख विषय के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
6. ऐसे प्रवेशार्थी जिन्होंने बी.ए. / बी.एस–सी. अर्थशास्त्र अथवा गणित प्रमुख विषय के रूप में न लेकर सहायक / गौण विषय के रूप में लिया है, को एम.काम. प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी परन्तु जिन अभ्यर्थियों ने बी.ए. / बी.एस–सी. में अर्थशास्त्र अथवा गणित विषय उत्तीर्ण किया है उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। यह नियम संस्थागत छात्रों पर ही लागू होगा। बी.काम. या एम.काम. में किसी प्रकार के डिप्लोमा चाहे वह बोर्ड ऑफ एजूकेशन, उत्तर प्रदेश अथवा अन्य किसी बोर्ड से पास किया हो, के आधार पर छात्र प्रवेश का पात्र नहीं माना जायेगा। इस प्रकार के डिप्लोमा को मान्यता प्रदान करने वाले पूर्व के सभी निर्णयों को निरस्त माना जायेगा।
7. परास्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु उसी विषय में प्रवेश लिया जा सकेगा जिन विषयों में उसने स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो एवं अन्तिम वर्ष में जो विषय चुने गये हों। परास्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु योग्यता सूची छात्र के स्नातक के तीनों वर्ष के प्राप्तांक (प्रायोगिक परीक्षा को छोड़कर) को सम्मिलित करते हुए योग्यता सूची तैयार की जायेगी।
8. M.A. कक्षा में 10 प्रतिशत सीटें नॉन–स्ट्रीम के लिए आरक्षित होंगी। नॉन–स्ट्रीम के अन्तर्गत भूगोल, संगीत, चित्रकला, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान आदि विषयों में प्रवेश मान्य नहीं होंगे। एम.ए. नॉन–स्ट्रीम के अन्तर्गत प्रवेश हेतु विज्ञान, वाणिज्य, विधि के स्नातक छात्र ही मान्य होंगे। अर्थात

बी.ए. उत्तीर्ण छात्र "नॉन स्ट्रीम" के अन्तर्गत नहीं आएगा। यदि किसी छात्र ने बी.ए. तृतीय वर्ष में अमुक विषय नहीं पढ़ा है तो वह अमुक विषय के लिए स्ट्रीम और नॉन–स्ट्रीम दोनों में मान्य नहीं होगा। सीट रिक्त होने की स्थिति में नॉन–स्ट्रीम के विद्यार्थियों को नियमानुसार प्रवेश दिया जा सकता है।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

S. No.	Programme	Duration	Eligibility Criteria	Admission Criteria	Course Maximum Duration
1.	M.A.	4 Semester (2 Years)	Bachelor's Degree in Relevant Subjectwith minimum 45% for General, OBC and 40% marks for SC/ST	Merit List by the College (As per University Rule)	4 Years
2.	M.Sc.	4 Semester (2 Years)	Bachelor's Degree in Relevant Subjectwith minimum 45% for General, OBC and 40% marks for SC/ST	Merit List by the College (As per University Rule)	4 Years
3.	M.Com.	4 Semester (2 Years)	Bachelor's Degree in Relevant Subjectwith minimum 45% for General, OBC and 40% marks for SC/ST	Merit List by the College (As per University Rule)	4 Years

खण्ड–'घ' व्यवसायिक पाठ्यक्रम सम्बन्धी नियम

1. (क) एलएल.एम. पाठ्यक्रम में प्रवेश लिखित प्रवेश परीक्षा द्वारा किये जायेगें। बी.ए. एलएल.बी. (इंटीग्रेडेट)/एल.एल.बी. में प्रवेश वरीयता सूची के आधार पर होगी। सभी प्रवेश बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया (बी.सी.आई.) की प्रवेश नियमावली द्वारा किये जायेंगे।

   (ख) एलएल.बी. त्रिवर्षीय/एलएल.बी. पंचवर्षीय (बी.ए.एलएल.बी. इंटीग्रेटेड) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होने चाहिये। बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा प्राविधानित नियम 'III Rules of Legal Education' के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) हेतु प्रवेश की न्यूनतम अर्हता 42 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। अतः सामान्य जाति हेतु 45 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 42 प्रतिशत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 40 प्रतिशत प्राप्त अंक प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रहेगी।

   (ग) प्रवेश में शासनादेश के अनुसार सभी पाठ्यक्रमों में आरक्षण अनुमन्य होगा। सभी वर्गों में छात्राओं को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

   (घ) बार कौंसिल ऑफ इण्डिया (बी.सी.आई.) द्वारा जारी Chapter II Standard of Professional legal Education' का अनुपालन सभी महाविद्यालयों द्वारा किया जाना आवश्यक है। इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

   (ड़) एलएल.बी. पाठ्यक्रम के एक सेक्शन में 60 से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

   (च) मास्टर ऑफ लॉ (एलएल.एम.) डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए वे विद्यार्थी अर्ह होंगे जिन्होंने विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय जो इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, की एलएल.बी. (त्रिवर्षीय)/ एलएल.बी. (पंचवर्षीय) डिग्री प्राप्त की हो। एलएल.एम. प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश लिखित प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार योग्यता सूची द्वारा किया जायेगा।

2. (क) बी.एड. और एम.एड. कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश के सामान्य नियम भी बी.एड. और एम.एड. के विद्यार्थियों पर लागू होंगे।

   (ख) बी.एस.सी. (कृषि) के प्रथम वर्ष में प्रवेश योग्यता के आधार पर होगा। कृषि सहित इण्टरमीडिएट या इण्टरमीडिएट विज्ञान (बायो ग्रुप) एवं (गणित ग्रुप) न्यूनतम योग्यता होगी।

   (ग) बी.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्हता इण्टरमीडिएट गणित विषय होगी।

3. बी.बी.ए. और बी.सी.ए. विश्वविद्यालय के अन्य स्नातक उपाधियों के समतुल्य हैं। बी.बी.ए. परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थी एम.काम. और एम.ए. अर्थशास्त्र और बी.सी.ए. परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थी एम.एस.सी. गणित और कम्प्यूटर साइंस में भी प्रवेश के लिए अर्ह होंगे। बी.बी.ए./बी.टेक./बी.सी.ए. का विद्यार्थी भी किसी भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अथवा विश्वविद्यालय के अन्य किसी भी पाठ्यक्रम में जिसकी न्यूनतम योग्यता स्नातक है, प्रवेश के लिए नान स्ट्रीम श्रेणी के अन्तर्गत अर्ह होंगे।

4. बी.टेक. एवं बी.फार्मा. उत्तीर्ण छात्र एलएल.बी. में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

5. बी.पी.एड. एवं बी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा अथवा प्रवेश समिति के निर्णय के अनुसार सम्पन्न कराये जायेंगे।

PROFESSIONAL COURSE

S. No.	Programme	Duration	Eligibility Criteria	Admission Criteria	Course Maximum Duration
1.	B.Ed.	2 Years	Undergraduate or Post graduate Degree with Minimum 50% Marks (For B.Tech/B.E. Minimum 55% Marks)	U.P. B.Ed. Entrance test	3 Years
2.	M.Ed.	2 Years	B.Ed./B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed./B.El.Ed./ U.G.+D.El.Ed. with Minimum 50% Marks	Entrance (University) (To be decided)	3 Years
3.	D.El.Ed.	2 Years	Senior Secondary School with Minimum 50% Marks	Entrance/Merit (University Rule)	3 Years
4.	B.El.Ed.	4 Years	Senior Secondary School with Minimum 50% Marks	Entrance/Merit (University Rule)	6 Years
5.	ITEP	8 Semester (4 Years)	Senior Secondary School with Minimum 50% Marks	Entrance/Merit (University Rule)	6 Years
6.	B.P.Ed.	4 Semester (2 Years)	Bachelor's Degree with Minimum 50% Marks+Participation in Inter College/ Zonal/District School of Competition in Sports & Games recognized by AIU/IoA/SGFI/Government of India or Bachelor's Degree in Physical Education with Minimum 45% Marks Bachelor's Degree in any discipline with Min. 50% Marks & Physical education as compulsory/Elective Subject	Written Test + Sports Proficiency Test + Physical Fitness Test (University Rule)	3 Years
7.	M.P.Ed.	4 Semester (2 Years)	B.P.Ed. with Minimum 50% Marks B.Sc. in Health and Physical Education with Minimum 50% marks	Written Test +Fitness Test +Interview + %age in Qualifying Examination (University Rule)	3 Years
8.	LL.B.	6 Semester (3 Years)	Graduation in any discipline of knowledge with minimum 45% marks for General, OBC and Minimum 40% marks for SC/ST	Merit List by the College (as per University Rule)	6 Years
9.	B.A.LL.B.	10 Semester (5 Years)	Senior Secondary School course or equivalent with minimum 45% for General, OBC and Minimum 40% marks for	Merit List by the College (As per University Rule)	10 Years
10.	LL.M.	4 Semester (2 Years)	SC/ST Bachelor of Law (LL.B. Three years or Five years LL.B. in integrated Law Degree Course with minimum 50% marks	Entrance by the University	4 Years
11.	M.Sc. Agri. Agronomy/ Horticulture/ Agriculture Economics/ Animal Husbandry & Dairy Science	4 Semester (2 Years)	Bachelor's Degree in Agriculture/ Bachelor's Degree in Agriculture Honours with Minimum 50 % marks	Merit List by the College (As per University Rule)	4 Years
12.	BBA Health Care Management	6 Semester (3 Years)	12th Pass in any Stream with Minimum 45% Marks for Gen. & OBC, Minimum 40% Marks for SC & ST	Merit List by the College (As per University Rule)	6 Years

6. स्पोर्टस कोटे के अन्तर्गत राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी के प्रवेश हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कुलपति महोदय द्वारा प्रवेश हेतु विशेष अनुमति दी जा सकती है परन्तु यह नियम प्रवेश परीक्षा के माध्यम से सम्पन्न होने वाले प्रवेश पर लागू नहीं होगा अर्थात जहाँ प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश किये जायेंगे, उन पर प्रवेश के लिये कुलपति अनुमति नहीं देंगे।

स्पष्टीकरण– बी.एड., एम.एड. तथा अन्य रोजगार–परक पाठ्यक्रम के प्रवेश हेतु स्पोर्ट्स कोटा मान्य नहीं होगा।

कुलसचिव